

कार्यालय— प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर  
Office of the Principal & Controller RUHS College of Medical Sciences, Jaipur  
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550

Website : www.ruhsCMS.org

Email : principalruhsCMS@ruhsraj.org



Address :

Sector-11, Kumbha Marg,

Pratap Nagar, Tonk Road,

Jaipur -302033

(Rajasthan)

क्रमांक : संस्था/OPS/2023-24/11958

दिनांक : 05/09/2023

—: कार्यालय आदेश :-

कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 25540 दिनांक 01.09.2023 के क्रम में इस महाविद्यालय, सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं इस महाविद्यालय के कार्मिक जो अन्यत्र कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है कार्यरत, समस्त नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राज.स्वा. विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जारी पत्रांक 25540 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार कार्रवाई करते हुए अंतिम दिनांक 10.09.2023 तक नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/अर्जित मूल्य एवं घोषण पत्र संलग्न अनुसार जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि दिनांक 10.09.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.09.2023 तक नियमानुसार जमा कराई जा सकती है।

संलग्न : उपरोक्त आदेश एवं घोषणा पत्र की प्रति।

(प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक)

राज०स्वा०वि०वि० आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,

जयपुर।

दिनांक : 05/09/2023

क्रमांक : संस्था/OPS/2023-24/11959-71

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि.आयु.महाविद्यालय जयपुर।
4. वित्त अधिकारी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि.आयु.महाविद्यालय जयपुर।
6. मुख्यलेखाधिकारी, इस महाविद्यालय, जयपुर।
7. चिकित्सा अधीक्षक, राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान चिकित्सालय एवं चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय रू.दे.बे.प्र. जयपुरिया चिकित्सालय, को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेशों के संबंध में आवश्यक रूप से जानकारी/निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीकारी प्रभारी समस्त अनुभाग, समस्त प्रभारी अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेशों के संबंध में आवश्यक रूप से जानकारी/निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
9. अटल बिहारी वाजपेई आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, अति. कुलसचिव, राज.स्वा.वि. वि.जयपुर, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर, प्रधानाचार्य राज.स्वा.वि.वि. दन्त महाविद्यालय, जयपुर, नोडल अधिकारी, इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर एवं प्रधानाचार्य राज.स्वा. वि.वि. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस महाविद्यालय द्वारा आपके अधीन कार्यरत/पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेशों के संबंध में आवश्यक रूप से जानकारी/निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रभारी अधिकारी इस महाविद्यालय वैबसाईट, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करावे।
11. समस्त संबंधित नियमित चिकित्सक शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, इस महाविद्यालय, जयपुर।
12. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
13. रक्षित पत्रावली।

(अतिरिक्त प्रधानाचार्य)

राज०स्वा०वि०वि० आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,

जयपुर।



राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय  
Rajasthan University of Health Sciences

सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर -302033  
दूरभाष : 0141-2795501, फैक्स : 0141-2791803

एफ-3( )एफ.ए.बी./राज.स्वा.वि.वि./जयपुर /2023-24/25540 दिनांक 01.09.2023

कार्यालय आदेश

शासन सचिव, वित्त (बजट) नियम अनुभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 13(12)वित्त (नियम)/2021 दि. 25.08.2023 द्वारा विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु निम्न संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :-

**A. सेवानिवृत्त कार्मिक :**

सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा विकल्प दिये जाने पर पेंशन निधि में नियोक्ता अंशदान की जमा करवाई जाने वाली राशि मय अर्जित ब्याज उसे प्राप्त करने की दिनांक से पेंशन निधि में जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि के प्रावधान को यथावत रखा जाता है तथा यह राशि एकमुश्त ही पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अन्य समस्त राशि यथा EPS, ग्रेच्युटी अंतर राशि, नियोक्ता अंशदान से स्थायी प्रत्याहरण, Ex-gratia, CPF के कार्मिक के रूप में अतिरिक्त सेवा के मामलों में इन समस्त राशियों हेतु निर्धारित ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक यथावत रखी गई है परन्तु इन मदों में पृथक-पृथक से देय ब्याज राशि मूल राशि से अधिक नहीं होगी।

**B. मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित :**

मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित को सेवानिवृत्त कार्मिक की भांति जमा कराने योग्य राशि की 70 प्रतिशत राशि ही एकमुश्त जमा करानी होगी।

**C. सेवारत कार्मिक :**

1. यदि CPF/EPF/NPS से संबंधित राशि इनसे संबंधित संस्थाओं से प्राप्त नहीं होने की दशा में कुल देय राशि (नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/अर्जित मूल्य के कुल देय राशि) की 15 प्रतिशत राशि कार्मिक को स्वयं पेंशन निधि में एकमुश्त जमा करानी होगी।
2. शेष 85 प्रतिशत राशि सेवारत कार्मिक को उनकी सेवानिवृत्ति पर जमा करानी होगी अन्यथा उनके पेंशन परिलाभ देय नहीं होंगे। इस हेतु प्रत्येक कार्मिक को घोषणा पत्र (परिशिष्ट -1) प्रस्तुत करना होगा जो विकल्प पत्र का भाग होगा।
3. नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज/अर्जित मूल्य के अतिरिक्त अन्य राशि यथा इ.पी.एस. /स्थायी प्रत्याहरण यदि एकमुश्त जमा कराई जाती है तो ही बिन्दु संख्या A के संदर्भित प्रावधान अनुसार छूट देय होगी। यदि यह राशि एकमुश्त के स्थान पर सेवारत कार्मिक द्वारा चार किशतों में जमा कराई जाती है तो प्रथम किशत की 25 प्रतिशत राशि इस आदेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक एकमुश्त जमा करानी होगी। शेष राशि फरवरी 2024, अगस्त 2024, फरवरी 2025 में इन माह के अंतिम दिवस तक तीन किशतों में जमा कराई जा सकती है परन्तु ऐसी स्थिति में नियमानुसार सम्पूर्ण ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर) सहित मूल राशि जमा करानी होगी।



# राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय Rajasthan University of Health Sciences

सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर -302033

दूरभाष : 0141-2795501, फ़ैक्स : 0141-2791803

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश की निरन्तरता में विकल्प पत्र प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 10.09.2023 तक बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 10.09.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.09.2023 तक जमा कराई जा सकती है।

सूचना - व्योम पत्र


21-6  
कुल सचिव 28/8/23

एफ-3( ) एफ.ए.बी./राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2023-24/25541-58

दिनांक 01.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय प्रति कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
3. वरिष्ठ उपशासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सहायक, कुलसचिव महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान/दंत विज्ञान महाविद्यालय/नर्सिंग विज्ञान महाविद्यालय जयपुर
6. परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी, संस्थापन-1,11/शैक्षणिक-1,11/रिसर्च/प्रवेश परीक्षा/स्टोर/विधि/नर्सिंग, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर
7. रक्षित पत्रावली ।

  
वित्त अधिकारी



## घोषणा पत्र

मैं ..... पदनाम ..... कार्यालय .....  
 में पदस्थापित हूँ। इस घोषणा पत्र के माध्यम से निम्नानुसार  
 सहमति देते हुए वर्तमान में ..... (CPF/EPF/NPS) से पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार  
 करने का विकल्प देता हूँ :

1. मैं विकल्प स्वीकार करने की तिथि तक नियोक्ता अंशदान तथा उस पर अर्जित  
 ब्याज/अर्जित मूल्य की 15 प्रतिशत राशि एकमुश्त निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराने की  
 सहमति देता हूँ।

2. मैं उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अन्य देय राशि जो राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत  
 उल्लेखित है, यथा स्थायी प्रत्याहरण, EPS या अन्य राशि जो नियोक्ता अंशदान का भाग है,  
 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित एकमुश्त जमा कराने की सहमति देता हूँ।

या

मैं उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अन्य देय राशि जो राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत  
 उल्लेखित है, यथा स्थायी प्रत्याहरण, EPS या अन्य राशि जो नियोक्ता अंशदान का भाग है,  
 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित दिशानिर्देश अनुसार निर्धारित समय में चार किश्तों  
 में जमा कराने की सहमति देता हूँ।

3. मैं संस्था की पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सेवानिवृत्ति पर समस्त  
 नियोक्ता अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज/ अर्जित मूल्य की शेष 85 प्रतिशत राशि को जमा  
 कराने के उपरान्त ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की सहमति देता हूँ।

4. मेरे द्वारा दिया गया यह घोषणा पत्र अंतिम है।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर गवाह 1 .....

नाम .....

पता .....

हस्ताक्षर गवाह 2 .....

नाम .....

पता .....

प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद  
 (मय कार्यालय मोहर)